बिहार–सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 07/2026-27

[केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर]

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक 09.07.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथि: 19.07.2026 से 23.07.2026 को 3.00 बजे अपराहन् तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय: दिनांक– 23.07.2026 को 3.30 बजे अपराहन् तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि से संबंधित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक–23.07.2026 को 4.00 बजे अपराह्न तक।
   (1) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर
   (2) अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा।
   (3)क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर का कार्यालय।
6. निविदा (तकनीकी वीड) खोलने की तिथि: एवं समय : दिनांक 23.07.2026 को 5.00 बजे अपराहन् तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. कार्य की विवरणी :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र मूल्य रूपये में	बेलट्रॉन का प्रोसेसिंग फीस + अन्य कर (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में अल्प वर्षापात् के कारण राज्य के कुछ जिलों में भू–जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण/पुराने जीर्ण--शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु 85 अदद् नये चापाकलों के निर्माण कार्य एवं सोख्ता निर्माण कार्य हेतु।	79.99	1.60	10,000.00	As per eproc2	02 माह

9. निविदा की वैद्यता की तिथि :– निविदा खोलने की तिथि से 180 दिनों तक।
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्ते कार्यालय के सूचनापट्ट पर अथवा WWW.eproc2.bihar.gov.in वेबसाईट पर देंखा जा सकता है।
11. ई– टेन्डरिंग प्रकिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को WWW.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Singnature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट WWW.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने/ई– टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।
09/07/26

निविदा की अन्य शर्ते

1. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर भेज सकते हैं। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा अग्रधन की राशि/आचरण प्रमाण पत्र (जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक से निर्गत तिथि से छः माह तक ही वैद्य होगी,) जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या 6/वि0–10162/07–552, दिनांक 28.05.2009 के आलोक में यथा श्रेणी ख, श्रेणी ग में सूचीबद्ध संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगे।

3. बेल्ट्रॉन का प्रोसेसिंग फी + अन्य कर (जो लौटाया नही जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रुप में मान्य होगा। जो कि Internet Payment gateway (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS से भुगतान होगा।

4. Bid Processing charge + Servive Tax का भुगतान संवेदक को Internet Payment Gateway/Challan अथवा Internet Banking or NEFT/RTGS Challan के माध्यम से स्तंभ 4 के अनुसार BSEDC के Bid Processing fee Account में Credit करना होगा।

5. e-Proc 2.0 प्रणाली के तहत् मात्र online विधि से समर्पित अग्रधन (EMD) ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा करना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारंटी (BG) ही स्वीकार किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ बैंक गारंटी (BG) को Scan कर अपलोड करेंगे तथा भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। e-Proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राषि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के नाम से भारतीय Schedule बैंक/भारतीय राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। इस प्रणाली के तहत् बैंक गारंटी (BG) का Online Verification किया जाएगा। परिमाण विपत्र का मूल्य Online O-GRAS के माध्यम से मान्य नहीं होगा। सशर्त्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा।

6. निविदा के साथ पैन नं0 GST नं0 अद्यतन आयकर रिटर्न Assement year 2024-25 जमा करना अनिवार्य है।

7. निर्माण में व्ययहृत होने वाले आई.एस.आई.मार्क IM-II हैण्ड पम्प/जी0आई0 पाईप/यू.पी.भी.सी. पाईप/सिंगुर हैण्ड पम्प एवं स्ट्रेनर आदि के गुणवत्ता प्रमाण हेतु प्राधिकृत तृतीय पक्ष जाँच प्रतिवेदन के साथ सामग्री का प्रबंधन भंडारण सुरक्षा स्वयं के व्यय पर करना होगा। सामग्री पूर्ण रूपेण कनीय अभियंता के Custody में रखवाना सम्वेदक को सुनिश्चित करना होगा।

8. चापाकलों का निर्माण चबूतरा, नाली एवं सोख्ता के साथ पूर्ण करा कर पानी गिरता हुआ चापाकल का रंगीन छायाप्रति विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धत करने पर अतिरिक्त जमानत की राशि परफोरमेंस गारंटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

9. वैसे संवेदक जिनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन कार्य बकाया है, एवं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अथवा ससमय आवंटित कार्य का संपादन नहीं किया गया है तथा उनके पास पूर्व आवंटित कार्यों के निधारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत से कम है उन्हें असफल घोषित किया जा सकता है। निविदा में शामिल होने वाले सभी संवेदकों को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके जिम्मे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं है। अगर किसी विभागीय कारण से भी किसी एकरारनामा का कार्य लम्बित है तो इसकी सूचना भी प्रतिशपथ में दिया जाना अनिवार्य होगा। गलत शपथ पत्र दिये जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

9. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्रवाई, बिना किसी पृच्छा के प्रारंभ कर दी जायेगी।

10. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

11. सफल निविदाकारों को एकरारनामा के जी0एस0टी0 निबंधन, विज्ञापित कार्य अनुरूप आवश्यक श्रम संबंधी अनुज्ञप्ति भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 अन्तर्गत

होंगे।

12. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
13. ससमय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी। विभागीय निदेश के आलोक में चापाकल निर्माण की संख्या घट या बढ़ सकती है।
14. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निधि उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान देय होगा इस मद में कोई दावा ब्याज इत्यादि मान्य नहीं होगा।
16. किसी प्रकार के शुद्धिपत्र को वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
17. वैसे संवेदक जिनका कोई भी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल अन्तर्गत कार्यरत हैं, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे, इस आशय का शपथ देय होगा।
18. निविदा के समय संवेदकों को 105 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आषय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/निविदा से Debar नहीं किये गये हैं एवं उनका कोई कार्य "Rescind" नहीं हुआ है। शपथ पत्र की मूल प्रति अग्रधन राशि के साथ जमा करना होगा। यह शर्त निविदा निष्पादन की तिथि तक मान्य होगा।
19. सभी शपथ पत्र संवेदकों को निबंधन उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक में 100.00 (एक सौ) रूपये के स्टाम्प एवं 5.00 (पाँच) रूपये के एडवोकेट फंड के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
20. निविदा डालने से पूर्व सभी निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा एवं कृत कार्य का भुगतान निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
21. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग को सुरक्षित है।
22. संवेदक "Scan" कर मूल कागजातों को "Upload" करने पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रम संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी Documents PDF, MS Office (Compatibility mode), JPEG, ZIP format में हीं Upload किया जाय, अन्य format में Uploaded documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
23. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय से पूर्व ही www.eproc2.bihar.gov.in पर बीड को Upload एवं आवश्यक ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
24. विभाग से संबंधित सूचना/षिकायत के लिए हेल्पलाईन 18003456161 का उपयोग किया जा सकता है। ई0–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई0–प्रॉक्यूरमेंट हेल्प डेस्क, पहला मंजिल, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड न0– 25, श्री कृष्णा नगर, पटना– 800001 से संपर्क किया जा सकता है, दूरभाष संख्या 0612–2523006/7542028164 पर हीं हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।
25. .पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–447(S) दिनांक–16.01.2020 एवं ज्ञापांक 449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिषत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है। इस आलोक में विभागीय पत्रांकः–6A/मुक0–1–1014/21–22 पटना, दिनांक 04.01.2023 के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद CWJC No. 9941 of 2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामलें में पारित न्यायादेष के अनुरूप होगी।
26. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खोलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
27. राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान मे किसी भी श्रेणी मे काली सूची मे डाले गये सम्वेदक इस निविदा मे भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
28. सामान्यतः कार्य पूर्ण करने हेतु समय वृद्धि नहीं दी जायेगी। ससमय कार्य पूर्ण करने की बाध्यता सम्वेदकों की होगी।
29. वैसे सम्वेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा जो विभाग द्वारा पूर्व मे आवंटित कार्य को निष्पादित करने मे सक्षम नहीं हो सके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष में आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं अथवा जिनका कार्यकलाप संदेहास्पद रहा हो।
30. अन्य जानकारी के लिए कार्य दिवसों एवं कार्यालय अवधि मे सूचना पट्ट देखी जाय/ अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जाय।

देना अनिवार्य होगा।

32. निविदा के साथ सम्वेदकों द्वारा संलग्न किए जाने वाले सभी अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों पर संबंधित सम्वेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
33. न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जायेगा। एक से अधिक न्यूनतम दर दाता होने की स्थिति मे सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
34. सभी मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद अथवा अग्रधन के रूप में जमा किए जाने योग्य बैंक गारंटी (BG) की मूल प्रति अथवा online mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अथवा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा अथवा मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।
35. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर या अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा से किसी भी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
36. संवेदक द्वारा निर्माण किए गए चापाकल का विपत्र प्रस्तुत करते समय चापाकल के पानी का शुद्धता की जाँच रिर्पोर्ट देना भी अनिवार्य होगा।
37. जी0एस0टी0 / सेल्स टैक्स एवं अन्य कटौती अद्यतन सरकारी नियमानुसार की जाएगी।
38. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9/7/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

09/07/26